



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-31102022-239950
CG-AS-E-31102022-239950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4854]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2022/ कार्तिक 9, 1944

No. 4854]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

रेल मंत्रालय
पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण संगठन)
अधिसूचना
मालीगाँव, 26 सितंबर, 2022

का.आ. 5072(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित परियोजनाओं को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	कटिहार—कुमेदपुर व कटिहार—मुकुरिया (64.5 किमी० का दोहरीकरण)	बिहार

[फा. सं. डब्ल्यू /207/कॉन/के.आइ.आर.-एम.एफ.ए.-के.डी.पी.आर./के.आइ.आर.]
के. के. अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) /II

MINISTRY OF RAILWAYS

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY (CONSTRUCTION ORGANISATION)

NOTIFICATION

Maligaon, the 26th September, 2022

S.O. 5072(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as special railway project, as mentioned in column (2) of the table below in the State mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Sl. No.	Name of the Special Railway Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	Katihar-Kumedpur & Katihar-Mukuria (64.5 km) Doubling	Bihar

[F. No. - W/207/CON/KIR-MFA-KDPR/KIR]

K. K. AGGARWAL, Chief Administrative Officer (Const.)/II

अधिसूचना

मालीगाँव, 26 सितंबर, 2022

का.आ. 5073(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), की धारा 2 के खण्ड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) जिला के संबंध में बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता /कटिहार	कटिहार

[फा. सं. - डब्ल्यू /207/कॉन/के.आइ.आर.-एम.एफ.ए.-के.डी.पी.आर./के.आइ.आर.]

के. के. अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/II

NOTIFICATION

Maligaon, the 26th September, 2022

S.O. 5073(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Katihar-Kumedpur & Katihar-Mukuria (64.5 km) Doubling**” in the State of Bihar relating to district Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	District Magistrate & Collector, Katihar	Katihar

[F. No. - W/207/CON/KIR-MFA-KDPR/KIR]

K. K. AGGARWAL, Chief Administrative Officer (Const.)/II